



SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY

(State University enacted under the Government of Haryana Act 25, 2016)

परिपत्र संख्या: SVSU/AB/2024/1004

दिनांक: 01/02/2024

परिपत्र

सभी विभागाध्यक्षों/शाखा प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि 31वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु निम्नलिखित अध्यादेश को पारित किया गया है। यह अध्यादेश निम्नलिखित दिनांक से प्रभावी माने जाएंगे।

Sr. No.	Ordinance	Area specified under section no. of Shri Vishwakarma Skill University Act.	With effect from
1.	POLICY FOR PROMOTION OF RESEARCH IN UNIVERSITY	Under Section 7 (a, r & x) of SVSU Act. 2016	18.01.2024
2.	POLICY FOR TALENT ATTRACTION & RETENTION IN THE UNIVERSITY	Under Section 7 (a, r & x) of SVSU Act. 2016	18.01.2024
3.	CAREER ADVANCEMENT SCHEME FOR VARIOUS TEACHING POSTS	Under Section 7(k & l) of SVSU Act. 2016	18.01.2024
4.	HOSTEL ORDINANCE	Under Section 7(a & x) of SVSU Act 2016	18.01.2024

इन अध्यादेश को देखने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएं ।


अकादमिक शाखा के प्रमुख
SVSU

उपरोक्त आदेश की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेसरित की जाती है।

1. सभी अधिष्ठाता तथा शाखा प्रमुख, एस.वी.एस.यू ।
2. निजी सहायक (कुलसचिव), एस.वी.एस.यू ।
3. विशेष कर्तव्य अधिकारी (कुलपति), एस.वी.एस.यू ।


 अकादमिक शाखा के प्रमुख
 SVSU

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	होटल एंड टूरिज्म	होटल एंड टूरिज्म शाखा के प्रमुख
2	टीचिंग पोस्ट्स	टीचिंग पोस्ट्स के प्रमुख
3	कारियर एडवैन्समेंट	कारियर एडवैन्समेंट के प्रमुख
4	रिसर्च	रिसर्च के प्रमुख
5	पॉलीसी फॉर प्लेन्ट	पॉलीसी फॉर प्लेन्ट के प्रमुख
6	पॉलीसी फॉर यूनिवर्सिटी	पॉलीसी फॉर यूनिवर्सिटी के प्रमुख


 SVSU